निगरानी डीपी सं0 04/2012 (RCMS 2012/00008) अनवानी 1. कुन्दन सिंह उर्फ कुनन सिंह पुत्र नत्था सिंह जाति मजहबी निवासी मटीलीराठान, तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. साधु सिंह पुत्र श्री नत्था सिंह जाति मजहबी निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2. तारो 3. भोली 4. दोनो पुत्रीयान कुन्दन सिंह अकवाम मजहबी निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर 5. जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.08.2019

पैटीशनर की ओर से श्री ओम प्रकाश बतरा, अधिवक्ता एवं नॉन पैटीशनर की ओर से श्री कुलवंत सिंह अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक श्री हरवीर सिंह बराड़ उपस्थित है। नॉन पैटीशनर के अधिवक्ता श्री कुलवंत सिंह द्वारा दिनांक 27.08.2019 को लिखित बहस मय फहरिस्त दस्तावेजों में अंकित दस्तावेजात एवं लिखित बहस प्रार्थना पत्र के साथ AIR 2000(Raj) 206, AIR -1969 SC 1297, AIR 1962 - 112(Raj.) & AIR 1996 Raj &154 की फोटो प्रतियां पेश की गई, जो शामिल पत्रावली है। बहस पूर्व में दिनांक 29.07.2019 को सुनी गई थी जिसे सुने लगभग एक माह का समय होने के कारण एवं श्री कुलवंत सिंह द्वारा पुनः लिखित बहस व उक्त नजीरें पेश करने के कारण आज पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

यह पैटीशन **कुन्दन सिंह** उर्फ कुनन सिह पुत्र नत्था सिंह ने डी.पी.(सी.एण्ड आर.) एक्ट 1954 की धारा 24 के तहत नॉन पैटीशनर साधु सिंह पुत्र नत्था सिंह, तारो, भोली एवं दोनों पुत्रिया नत्था सिंह के विरूद्ध इस आशय की पेश की है कि चक 2 एल बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की विवादग्रस्त भूमि मुरब्बा नं. 47 के किला नं 1 से 10 की 10 बीघा, किला नं 12 से 19 की 8 बीघा वं 22 ता 25 की 3 बीघा मृतक नत्था सिंह पुत्र केहर सिंह पैटीशनर के पिता को बतौर जीवों के आधार पर पुर्नवास विभाग द्वारा आवंटन हुई थी और आवंटन के समय नत्था सिंह पुत्र केहर सिंह, हरकौर पत्नि नत्था सिह, कुन्दन सिंह पुत्र नत्था सिह, तारों पुत्री

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नत्था सिह एवं वीर सिह पुत्र नत्था सिंह थे, जो अलॉटी थे। पैटीशनर एवं नॉन पैटीशनर संख्या 1 ता 4 मृतक नत्थासिंह के वारिसान है और नत्था सिंह पुत्र केहर सिह का स्वर्गवास लगभग 14 वर्ष पूर्व व हरकौर पत्नि नत्था सिंह का देहांत 9 वर्ष पूर्व तथा वीर सिंह पुत्र नत्था सिंह का स्वर्गवास अविवाहित होते हुए हो गया था। इसप्रकार उक्त वर्णित तथ्यों को नजर अंदाज कर अकेले अप्रार्थी/नॉनपैटीशनर साधु सिंह पुत्र नत्था सिंह के नाम से पैटीशनर को बिना सुने सनद संख्या 3080 दिनांक 17.03.1988 को अकेले साधु सिह के नाम से जारी कर दी गई जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमि मे पैटीशनर एवं नॉन पैटीशनर संख्या 1 ता 4 बराबर के मालिक थे और उसी अनुसार ही उक्त भूमि की सनद जारी करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ये तथ्य होते हुए पैटीशनर व अप्रार्थीगण 2 ता 4 को बिना कोई नोटिस दिये, एक तरफा तौर पर वारिसनामा घोषित करवाकर सनद संख्या 3080 अकेले साधु सिंह द्वारा अपने नाम जारी करवा ली, जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से भूमि की काश्त करते थे। दिनांक 08.08.2000 को नॉन पैटीशनर संख्या 01 साधु सिंह ने पैटीशनर को कहा कि अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई हक नहीं है, यह मेरे अकेले के नाम है। इस पर प्रार्थी ने दिनांक 09.08.2000 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जो दिनांक 11.08.2000 को तैयार हो गई एवं प्रार्थी के बीमार हो जाने के कारण दिनांक 01.09.2000 को नकल प्राप्त की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.03.1988 जो कि सनद संख्या 3080 को जारी करने के सम्बन्ध में है एवं वारिसनामा की भी जानकारी प्राप्त की। जानकारी होते ही बिना किसी देरी के यह निगरानी धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ के जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 17.03.1988 की अप्रसन्नता से पेश की है और उक्त आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

नॉन पैटीशनर/अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री कुलवन्त सिंह का कथन था कि निगरानी ग्रहण के समय केवल राजकीय अभिभाषक व पैटीशनर को ही मियाद के बिन्दु पर सुना गया था और निगरानी ग्रहण करके अप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था तथा जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित आकर निगरानी अन्दर मियाद न होने के सम्बन्ध में अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2003 द्वारा अपनी प्रारम्भिक आपत्तियां पेश कर दी थी और उक्त मियाद के बिन्दु पर नॉन पैटीशनर को अपनी आपत्तियां पेश करने की पूर्ण कानुनी अधिकारिता है, इसलिए प्रार्थी अभिभाषक की यह आपत्ति की पहले ही मियाद का बिन्दु निर्धारण हो चुका है, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री कुलवन्त सिंह सन्धू ने AIR 2000(Raj)-P206, AIR -1969 SC-P1297, AIR 1962 - P112(Raj.) & AIR 1996 Raj -P154 , RBJ(II) 2005-P235, RRB 1993-P280, 686 RBJ(19)-2012, 472 RBJ 21-2014(SC), AIR 2007 (SC)-P2414, का उद्धरण पेश करते हुए कथन किया है कि यह सही है **डी.पी.(सी.एण्ड आर.) एक्ट 1954** की धारा 24 में पैटीशन पेश करने की मियाद निर्धारित नहीं है जबकि माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह तय किया गया है जहां सम्बन्धित अधिनियम में रिविजन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं हो, वहां उचित समय सीमा के अन्तर्गत ही रिविजन की जा सकती है अत्यधिक विलम्ब से नहीं। चूंकि हस्तगत प्रकरण में पैटीशनर ने जिला पुर्नवास अधिकारी के निर्णय दिनांक 17.03.1988 जिसके द्वारा सनद संख्या 3080 जारी की गई है, को लगभग 12 वर्ष 6 माह पश्चात की गई है, जो उक्त न्यायिक दृष्टांतो के अनुसार उचित समय सीमा में पेश होनी नहीं मानी जा सकती है। इसलिए इसी आधार पर निगरानी खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2015(4)DNJ(Raj) 1853 का उद्धरण देते हुए यह भी कहा कि अगर प्रकरण में Fraud सम्बन्धी आरोप भी लगाए गए हो तो भी निगरानी उचित समय सीमा में ही पेश की जा सकती है। पैटीशनर द्वारा यह निगरानी लगभग 12 वर्ष 6 माह बाद पेश की गई है जो उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में उचित समय सीमा में पेश हाना नहीं माना जा सकता। इसलिए यह पैटीशन इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने 1992 RRD Page 611 श्रीमती माया देवी व अन्य बनाम पठाना सिंह एवं अन्य (226) का हवाला देते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि का अलॉटी अकेला नत्था सिंह था, जिसे जीवों के आधार पर उक्त भूमि की मात्रा तय करके आवंटन की गई है। जिससे नत्था सिंह के अलावा किसी अन्य परिवार के सदस्यों को अलॉटी नहीं माना जा सकता। इसलिए वादग्रस्त भूमि में पैटीशनर का यह कहना कि सदस्यों की संख्या के आधार पर उसका 1/5 वां हिस्सा था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूंकि विवादग्रस्त भूमि का आवंटन आदेश अकेले नत्था सिंह के नाम जारी किया गया था और उसके साथ ही भारत सरकार द्वारा एग्रीमैंट किया गया था और उसके द्वारा ही किश्ते जमा करवाई गई है इसप्रकार विवादग्रस्त भूमि का उसके अलावा किसी सदस्य का कोई मालिकाना हक नहीं है इसलिए तथाकथित कुन्दन सिंह का कोई हक नहीं है और जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के वसीयतनामा निर्णय दिनांक 12.08.1987 में प्रस्तुत ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मटिलीराठान के अनुसार नत्था सिंह अलॉटी व उसकी पत्नी हरकौर व जैरो पुत्री नत्था सिंह, कुन्दन सिह पुत्र नत्था सिंह, वीर सिंह पुत्र नत्था सिंह, केहर सिंह, ये सभी मृतक होना बताया है और नत्था सिंह का एक मात्र वारिस साधु सिंह बताया

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

है अन्य कोई वारिस नहीं बताया है। इस प्रकार तथाकथित कुन्दन सिंह, नत्था सिंह का वारिस नहीं है। अगर ये वारिस होता और संयुक्त रूप से साधू सिंह के साथ विवादग्रस्त भूमि की काश्त करता होता तो यह इतने वर्षों तक चुप क्यों रहा, अगर यह कुन्दन सिह सही था तो उसे बिना किसी विलम्ब के उचित समय सीमा में ही निगरानी पेश करनी चाहिए थी। अतः निगरानी खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जहां तक पैटीशनर का यह कथन कि **वारिसनामा आदेश दिनांक 12.05.1987 में जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया सही रूप से नहीं अपनाई गई है** और जल्दबाजी में बिना पूर्ण जांच किये जारी किया गया है, इसलिए वारिसनामा सही नही है, को पैटीशनर को निर्धारित समय सीमा में ही सक्षम न्यायालय में अलग से अपील पेश कर चुनौती दी चाहिए थी जो नहीं दी गई है। **इसलिए अब इस सनद संख्या 3080 दिनांक 17.03.1988 की आड में इस वारिसनामा आदेश दिनांक 12.05.1987 की वैद्यता/ अवैद्यता के सम्बन्ध में इस पैटीशन में विचार नहीं किया जा सकता।** वारिसनामा आदेश दिनांक 12.05.1987 अंतिम हो चुका है और वारिसनामा सनद् का मुख्य आधार होता है इसलिए जो सनद् संख्या 3080 दिनांक 17.03.1988 से साधुसिंह के नाम जारी की गई है, वह विधिसम्मत् है। अतः अपीलार्थी की पैटीशन इस आधार पर भी खारिज करने योग्य है।

इसके विपरीत पैटीशनर के विद्वान अभिभाषक श्री ओम प्रकाश बतरा का कथन है कि चक 2 एल बडा का नत्था सिंह पुत्र केहर सिंह को मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1 से 10 की 10 बीघा, किला नं 12 से 19 की 8 बीघा एवं 22 ता 25 की 3 बीघा कुल 21 बीघा नहरी भूमि नॉन क्लेमैंट के रूप में जीवों के आधार पर **डी.पी.(सी.एण्ड आर.) एक्ट 1954के** अन्तर्गत पुर्नवास विभाग द्वारा आवंटन की गई थी और आवंटन के समय परिवार में नत्था सिंह पुत्र केहर सिंह स्वयं और

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

हरकौर पत्नि नत्था सिंह, कुंदन सिंह पुत्र नत्था सिंह, तारों पुत्री नत्था सिंह एवं वीर सिंह पुत्र नत्था सिंह परिवार के सदस्य थे। उक्त भूमि में पैटीशनर कुन्दन सिंह सहित उक्त सभी सदस्यों का हिस्सा था। उक्त नत्था सिंह पुत्र केहर सिंह का स्वर्गवास 14 वर्ष पूर्व और हरकौर पत्नि नत्था सिंह का स्वर्गवास 9 वर्ष पूर्व एवं वीरसिंह पुत्र नत्था सिंह का स्वर्गवास अविवाहित होते हुए हो गया था। उक्त तथ्यों को नजर अंदाज कर अप्रार्थी संख्या 01 साधु सिंह को बिना सुने एवं गैर कानूनी रूप से सनद संख्या 3080 दिनांक 17.03.1988 को जारी कर दी गई, जो निरस्त करने योग्य है।

पैटीशनर के विद्वान अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी कुन्दन सिंह, नत्था सिंह का पुत्र है इसलिए नत्था सिंह को आवंटित उक्त विवादग्रस्त भूमि में उसका 1/5 हिस्सा था इसलिए अन्य वारिसान के साथ साथ उसके नाम से भी सनद जारी होनी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों की अनदेखी करके अकेले साधु सिंह के नाम से सनद जारी कर दी, जो विधिसम्मत नहीं है। इसलिए निरस्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला पुर्नवास अधिकारी ने नत्था सिंह की मृत्यु के उपरान्त साधु सिंह के पक्ष में जो वारिसनाम दिनांक 12.08.1987 को जारी करवाया है, वह बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जल्दबाजी में जारी किया गया है और जो घोषणा पत्र जारी किये गये है उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया गया है और प्रार्थना पत्र के साथ जो मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत मटीलीराठान का संलग्न किया गया है, उस पर कोई तारीख आदि अंकित नहीं की गई है और उसमें प्रार्थी कुन्दन सिह पैटीशनर को मृत बताया गया है जबकि वह आज भी जीवित है। इसप्रकार जो वारिसनामा जारी किया गया है वह सही नहीं है इसलिए वारिसनामा के आधार पर जारी सनद निरस्त करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि नत्था सिंह द्वारा जो विवादग्रस्त भूमि की वसीयत 20.01.1986 को साधु सिंह ने अपने पक्ष में होनी बताई है, वह गैर खातेदारी के दौरान की जाने के कारण मान्य नहीं है, इसलिए भी अप्रार्थी संख्या 01 साधु सिंह के नाम से जारी किया गया वारिसनामा और उसके आधार पर जारी की गई सनद विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

पैटीशनर के विद्वान अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि डी.पी. (सी.एण्ड आर.) एक्ट 1954 की धारा 24 में निगरानी पेश करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए कभी भी निगरानी पेश की जा सकती है। इसी संदर्भ में उनका आगे यह भी कथन है कि चूंकि पैटीशनर एवं नॉन पैटीशनर 1 ता 4 विवादग्रस्त भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे थे और दिनांक 08.08.2000 को नॉन पैटीशनर साधु सिंह ने पैटीशनर कुन्दन सिंह को कहा कि तुम्हारा इस भूमि पर कोई हक नहीं है उक्त भूमि की सनद संख्या 3080 उसके अकेले के नाम से जारी हो चुकी है। इस पर दिनांक 09.08.2000 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 11.08.2000 को नकल तैयार हो गई लेकिन पैटीशनर के बीमार हो जाने के कारण दिनांक 01.09.2000 को नकल प्राप्त की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.031988 सनद संख्या 3080 जिला पुर्नवास विभाग के उक्त आदेश एवं वारिसनामा की जानकारी हुई और जानकारी होते ही बिना किसी विलम्ब के यह निगरानी दिनांक 07.09.2000 को पेश कर दी जबकि **डी.पी.(सी.एण्ड आर.) एक्ट 1954** के अन्तर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कभी भी पेश की जा सकती है।

उनका यह भी कथन है कि एडमिशन के समय मियाद के बिन्दु को तय करके सुनवाई हेतु निगरानी ग्रहण की जा चुकी है इसलिए मियाद के बिन्दु पर पुनः विचार नहीं हो सकता। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गई सनद् संख्या 3080 दिनांक 17.03.199 निरस्त की जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत राजकीय अभिभाषक का कथन है कि कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो सनद जारी की गई है व वारिसनामा के आधार पर जारी की गई है और वारिसनामा दिनांक 12.08.1987 को आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अतः सनद संख्या 3080 दिनांक 18.3.1988 सही रूप से जारी की गई है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः पैटीशन खारिज की जावे।

मैने उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया और पक्षकारों द्वारा दस्तावेजात, रूलिंगस एवं सम्बन्धित सनद् संख्या 3080 आदेश दिनांक 17.03.1988 की सम्बन्धित पत्रावली एवं वारिसनामा दिनांक 12.05.1987 की सम्बन्धित पत्रावली संख्या 165/1987 का भी अवलोकन किया तो पाया कि यह पैटीशन, पैटीशनर द्वारा अप्रार्थी साधुसिंह के नाम से चक 2 एल के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 से 10 की 10 बीघा, किला नं 12 से 19 की 8 बीघा एवं 22 ता 25 की 3 बीघा कुल 22 बीघा नहरी भूमि की जारी **सनद संख्या 3080 दिनांक 17.03.1988 की अप्रसन्नता से यह पैटीशन इस न्यायालय में दिनांक 07.09.2000 को पेश की है।**

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि नॉन पैटीशनर के अभिभाषक **द्वारा** AIR 2000(Raj)-P206, AIR -1969 SC-P1297, AIR 1962-P112(Raj.) & AIR 1996 Raj-P154 , RBJ(II) 2005-P235, RRB 1993-P280, 686 RBJ(19)-2012, 472 RBJ 21-2014(SC), AIR 2007 (SC)-P2414 एवं 2015(4) DNJ(Raj) 1853 का उद्धरण पेश करते हुए कथन किया है कि **डी.पी.(सी.एण्ड आर.)एक्ट 1954** की धारा 24 में रिवीजन पेश करने की मियाद निर्धारित नहीं है इसलिए जहां सम्बन्धित अधिनियम में रिवीजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हो, वहां उचित समय सीमा के अन्तर्गत ही रिविजन पेश की जा सकती है। उचित समय सीमा प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों पर निर्भर करती है। चूंकि

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पैटीशनर द्वारा आदेश दिनांक 17.03.1988 के विरूद्ध यह रिवीजन 12 वर्ष 6 माह पश्चात पेश की गई है जो उचित समय सीमा में नहीं है। इसलिए इसी आधार पर खारिज की जावे। इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि इस प्रकरण में तत्कालीन चीफ सैटलमैंट कमिश्नर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा मियाद के सम्बन्ध में दिनांक 15.01.2001 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किया जा चुका है :

मैने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। विवादग्रस्त भूमि पैटीशनर के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार नथासिंह को जीवों के आधार पर आवंटन हुई थी और उसकी सनद अकेले साधुसिंह के नाम से दिनांक 17.03.1988 को जारी की गई है। हालांकि पैटीशन लगभग 12½ वर्ष पश्चात पेश की गई है। चूंकि डी.पी.एण्ड सी.आर. एक्ट में पैटीशन पेश करने के लिए कोई मियाद नियत नहीं है इसलिए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्याय हित में पैटीशनर के द्वारा प्रस्तुत पैटीशन ग्रहण की जानी योग्य प्रतीत होती हैं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पैटीशनर के द्वारा प्रस्तुत पैटीशन सुनवाई हेतु एडमिट की जाती है और आदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय का सनद् सम्बन्धी अभिलेख व नॉन पैटीशनरस तलब होकर पत्रावली दिनांक 20.02.2001 को पेश होवें।

-sd-
(किरण सोनी गुप्ता)
चीफ सेटलमैंट कमिश्नर
एवं
जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांतों का मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया तो पाया कि उक्त न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार अगर किसी अधिनियम में Revision प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हो तो वहां उचित समय सीमा में ही Revision पेश की जा सकती है। उचित समय सीमा प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। इस सिद्धान्त से हम पूर्णतया सहमत है किन्तु मेरे विनम्र निवेदन में चूंकि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 15.01.2001 को मियाद के बिन्दु पर पूर्व में ही तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय दिया जाकर उक्त पैटीशन सुनवाई हेतु ग्रहण की जा चुकी है और डी.पी.(सी.एण्ड आर.) एक्ट 1954 के अन्तर्गत Review का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, इसलिए मियाद के बिन्दु पर अब कानूनन कोई पुनः विचार नहीं हो सकता। ऐसी दशा में अप्रार्थीगण द्वारा मियाद के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तिया अस्वीकृत की जाती है। अतः अब इस मामले में गुण दोष पर विचार करना उचित होगा।

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि चक 2 एल के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नं. 1 से 10 की 10 बीघा , किला नं. 12 से 19 की 8 बीघा एवं 22 ता 25 की 3 बीघा कुल 22 बीघा नहरी भूमि नथा सिंह पुत्र केहर सिंह के नाम से नॉन कलेमंट के रूप में दिनांक 14.05.1957 को आवंटित है। नथा सिंह, आवंटी को जारी परिवार कार्ड दिनांक 19.06.1954 के अनुसार उसके परिवार में नथा सिंह स्वयं उम्र 35 वर्ष, हरकौर पत्नी उम्र 30वर्ष , तारो पुत्री उम्र 10 वर्ष, कुन्दन सिंह पुत्र उम्र 15 वर्ष, वीर सिंह पुत्र उम्र 7 वर्ष, केहर सिंह पिता उम्र 60 सदस्य के रूप में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि की सनद संख्या 3080 दिनांक 17.03.1987 को अकेले साधु सिंह पुत्र नथा सिंह के नाम से जारी की गई है। जो वारिसनामा दिनांक 12.08.1987 के आधार पर जारी की गई है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

वारिसनामा प्रकरण संख्या 165/.1987 अनवानी साधुसिह पुत्र नथा सिंह, मजबी साकिन मटीलीराठान, जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 12.08.1987 का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत, मटीलीराठान के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार अलॉटी नत्था सिह पुत्र केहर सिंह की मृत्यु होने के कारण प्रकरण संख्या 165/1987 में सक्षम अधिकारी जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा डी.पी. (सी.एण्ड आर.) रूल्स 1954 के नियम 76 के तहत वारिसनामा आदेश दिनांक 12.08.1987 पारित किया है, जिसके अनुसार मृतक आवंटी नत्था सिंह के एक मात्र पुत्र साधु सिंह को ही वारिस घोषित किया है। पैटीशनर अपने आप को मृतक नथा सिंह आवंटी का पुत्र बताता है तो उसे अपने पिता नथा सिंह की मृत्यु होने पर स्वयं को वारिस घोषित करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो की गई प्रतीत नहीं होती है और उक्त वारिसनामा आदेश दिनांक 12.08.1987 के विरूद्ध पैटीशनर द्वारा आज तक कोई अपील या रिविजन प्रस्तुत नहीं की गई है। पैटीशनर का यह कथन कि उक्त वारिसनामा आदेश बिना पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाये और जल्दबाजी में जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः वारिसनामा आदेश दिनांक 12.08.1987 निरस्त किया जावे, यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में कोई अपील या रिविजन लम्बित नहीं है। अगर पैटीशनर को उक्त वारिसनामा आदेश दिनांक 12.08.1987 से कोई अप्रसन्नता थी, तो उक्त आदेश के विरूद्ध उसे सक्षम अथोरिटी के समक्ष निश्चित मियाद अवधि में अपील पेश करनी चाहिए थी, जो उसके द्वारा पेश की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा उक्त वारिसनामा दिनांक 12.08.1987 के विरूद्ध कोई अपील/रिवीजन पेश नहीं की गई है। इसलिए प्रकरण संख्या 165/1987 में जारी वारिसनामा आदेश दिनांक 12.08.1987 अन्तिम हो चुका है और उसके

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आधार पर ही सनद संख्या 3080 दिनांकं 17.03.1988 को जारी की गई है, का मूल आधार उक्त वारिसनामा दिनांक 12.08.1987 ही है जो अंतिम हो चुका है। इसलिए **वारिसनामा दिनांक 12.08.1987 की वैद्यता/अवैद्यता पर इस न्यायालय में कोई विचार नहीं किया जा सकता।** अतः इस आधार पर उसकी पैटीशन खारिज करने योग्य है। पैटीशनर सक्षम अथोरिटी के समक्ष नियमानुसार वारिसनामा को चुनौती देने एवं उसके अनुसार ही राहत प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पैटीशनर कुन्दन सिंह द्वारा सनद संख्या 3080 दिनांक 17.03.1988 के विरूद्ध प्रस्तुत यह पैटीशन खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख के पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
प्राधिकृत चीफ सैटलमैंट
कमीशनर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर